रजिस्टर्ड नं० HP/12/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड : 49	शिमला, शनिवार, 10 नवम्बर, 2001/19 कार्तिक, 1923	संख्या : 45

विषय सूची

भाग-1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1492—1496 तथा 1522
भाग-2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1496
भाग-3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	1496—1507
भाग-4	स्थानीय स्वायत शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग..	—
भाग-5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन ..	1507—1521
भाग-6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन ..	—
भाग-7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं ..	—
—	अनुपूरक	—

10 नवम्बर, 2001/19 कार्तिक, 1923 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हुई :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या ई० एक्स० एन०-एफ० (12)-3/98-II, दिनांक 5 नवम्बर, 2001.	आबकारी एवं कराधान विभाग	राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई, 2001 में संशोधन।
संख्या कार्मिक (सचि० प्रशा०-1) ए (3) 2/85-1, दिनांक 10 अक्तूबर, 2001.	कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं-1)	हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) अधीक्षक ग्रेड-II (वर्ग-II, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 इसके अंग्रेजी पाठ सहित।

2187 राजपत्र/2001—10-11-2001—1,400. मूल्य : 2.50 रुपये।

भाग-1 वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 19/20th October, 2001

No. HHC/Admn. 6 (24) 74-VI-21794.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested under Section 12 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, is pleased to appoint Shri Davinder Kumar, Judicial Magistrate Ist Class, Dalhousie as Additional Chief Judicial Magistrate, for Civil and Sessions Division Chamba, for disposal of urgent work during ensuing Dussehra holidays *w. e. f.* 25-10-2001 to 28-10-2001 and during the Regional Training Programme on 'Gender and Law' with effect from 8-11-2001 to 14-11-2001.

By order,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

Shimla-1, the 20th October, 2001

No. HHC/GAZ/Admn. 14-90/79-21804.—The Hon'ble Chief Justice is pleased to sanction *ex-post-facto* sanction of 5 days commuted leave with effect from 8-10-2001 to 12-10-2001 with permission to prefix holiday falling on 7-10-2001 and to suffix holidays falling on 13-10-2001 to 14-10-2001 in favour of Shri Ram Lal Sharma, Addl. Registrar (A & E) of this court.

Certified that Shri Ram Lal Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after expiry of the above period of leave.

Certified that Shri Ram Lal Sharma would have continued to officiate the same post from where he proceeded on leave.

Shimla-1, the 20th October, 2001

No. HHC/GAZ/14-23/97-21811.—Hon'ble The Chief Justice is pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 25 days earned leave *w. e. f.* 29-8-2001 to 22-9-2001 with permission to suffix Sunday falling on 23-9-2001 in favour of Shri P. S. Samyal, Sub Judge-*cum*-SDJM Theog.

Certified that Shri Samyal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Samyal would have continued to hold the post of Sub-Judge-*cum*-SDJM, Theog, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, the 20th October, 2001

No. HHC Admn. 16/24) 75-II-21824.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4(iv) of the H. P. Oath Commissioners (Appointment and Control) Rules, 1996, is pleased to appoint Shri Raman Kant Choudhary, Miss Meena and Miss Manju Kumari, Advocates, Amb as Oath Commissioners at Amb, H. P. for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

Shimla-1, the 30th/31st October, 2001

No. HHC/GAZ/14-129/82-III-21979.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 4 days commuted leave *w. e. f.* 8-10-2001 to 11-10-2001 in favour of Shri Sher Singh Sen, Additional District and Sessions Judge, Nahan.

Certified that Shri Sen has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sen would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Nahan, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, the 31st October, 2001

No. HHC/Admn. 16/34/89-21988.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and rule 4(iv) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment and Control) Rules, 1996 is pleased to appoint Ms. Indu Sharma, Advocate, Chamba as Oath Commissioner at Sessions Division Chamba for a period of two years with effect from 11-11-2001 for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,

Sd/-

Registrar General.

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 अगस्त, 2001

संख्या आयु० ख (3)-1/2001.—हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जन-जातीय एवं कठिन क्षेत्रों में उप-संवर्ग निर्मित किये जाने के फलस्वरूप, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री रणधीर सिंह को तिब्बतियन चिकित्सा अधिकारी के पद पर आयुर्वेदिक (लाहौल एवं स्पिति) केलांग वेतनमान रुपये 7000-220-8100-275-10300-340-10980 में तथा समय-समय पर संशोधित देय चिकित्सा निषेध भत्ता सहित नियुक्त करने के राजपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं ।

नियुक्ति की शर्तें :

1. उपरोक्त नियुक्ति की आवश्यक सेवा शर्त यह होगी कि इस के उप-संवर्ग जिसका कि कार्मिक विभाग के अनुदेशों अनुसार जन-जातीय एवं कठिन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, सभी शर्तें लागू होगी । जिनमें न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष का सेवा काल जन-जातीय एवं कठिन क्षेत्रों में पूरा करना भी शामिल है ।

2. यह पद अस्थाई है, परन्तु इसके जारी रहने की सम्भावना है ।

3. वे दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे और परिवीक्षा की अवधि के दौरान उनकी सेवा बिना कारण बताये नोटिस के बिना, किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।

4. परिवीक्षा काल पूर्ण करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति को किसी भी समय एक मास का नोटिस देकर या इसके बदले वेतन देकर बिना कारण बताये सेवा समाप्त कर सकता है ।

5. यदि अधिकारी स्वेच्छा से सरकारी सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे एक मास का नोटिस या एक मास का वेतन जमा करवाना होगा ।

6. सेवा की अन्य शर्तें सेवा सम्बन्धी नियमों और समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार लागू होंगी ।

7. उन्हें कम से कम पांच वर्ष तक दायित्व के अधीन सेवा करनी होगी ।

8. उन्हें भारत/हिमाचल प्रदेश के किसी भी भाग में आपात-कालीन समय को मिलाकर देश की रक्षा हेतु सेवा करने का दायित्व निभाना होगा ।

9. उन्हें नियमानुसार सरकार द्वारा निर्धारित पद पर अनिवार्य रूप से सामान्य भविष्य निधि में अंशदान देना होगा ।

10. उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राईवेट प्रैक्टिस करना निषेध है । उन्हें उनके चिकित्सा निशेध भत्ता नियमानुसार व समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप मिलेगा ।

11. उन्हें नियुक्ति पत्र इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन उनके पक्ष में हों अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी ।

12. उनकी नियुक्ति निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/घोषणाओं को प्रस्तुत करने पर भी निर्भर करेगी :—

(क) दीन दयाल उपाध्याय (रिपन अस्पताल), शिमला में गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र लेना होगा ।
(ख) घोषणा कि उनकी केवल एक जीवित पत्नी होगी ।
(ग) उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी ।

13. यदि उन्हें तिब्बतियन चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति उपरोक्त शर्तों पर स्वीकार हो तो वे इस पत्र के जारी होने के 20 दिनों के भीतर उपरोक्त प्रमाण-पत्रों/घोषणा सहित आमची क्लीनिक (लाहौल एवं स्पिती) केलांग में कार्य ग्रहण करें, नहीं तो उनका नियुक्ति पत्र रद्द समझा जायेगा ।

14. उन्हें तैनाती स्थान पर कार्य-ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव (आयुर्वेद) ।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला, 12 अक्तूबर, 2001

संख्या शिक्षा-II-छ (10)-4/2000.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या शिक्षा-II-ग (10)-3/83, दिनांक 9-9-1996 का अधिक्रमण करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान राज्य कार्यकारिणी की समिति का पुनर्गठन नियम 4 (बी)(1) एवं नियम 5 (1) के अन्तर्गत दो वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रकार तत्काल प्रभाव से किया जाता है :—

1.	शिक्षा मन्त्री	अध्यक्ष
2.	शिक्षा सचिव	सदस्य
3.	शिक्षा निदेशक	सचिव (कोषाध्यक्ष)
4.	शिक्षा निदेशक, प्राथमिक	सदस्य
5.	वित्त विभाग से नामित अधिकारी	सदस्य
6.	श्री तुलसी राम चौहान सेवा निवृत्त उप-निदेशक शिक्षा, नजदीक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर ।	सदस्य
7.	श्री विद्या प्रकाश गर्ग, सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक, गांव जखमोत, डाकघर धिरथी, जिला हमीरपुर ।	सदस्य
8.	एम0 एल0 सागर, उप-निदेशक केन्द्रीय शिक्षा क्षेत्र मण्डी ।	सदस्य
9.	श्री चमन लाल सोनी, गांव व डाकघर लदरोर, जिला हमीरपुर ।	सदस्य

इसके अतिरिक्त किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी या अध्यापक को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है ।

अन्य उपबन्ध एवं शर्तें जिन्हें इस विभाग की अधिसूचना संख्या शि0 डी0 एन0-II-ए (4) 2/74, दिनांक 14-11-1977 द्वारा अधिसूचित किया गया था अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिवर्ष दो बार आयोजित की जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा) ।

वित्त विभाग

(कोष तथा लेखा संगठन)

अधिसूचना

शिमला-171009, 28 अगस्त, 2001.

संख्या 20-पी0एफ0/68 फिन (टी0 एण्डए0)—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, खेदपूर्वक श्री के0 के0 गुलेरिया, उप निदेशक (कोष निरीक्षण), उत्तरी धर्मशाला की 19-07-2001 को अकस्मात मृत्यु की घोषणा करते हैं ।

आशा स्वरूप,
वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन* के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त *प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

*गांव सांगटी, तहसील व जिला शिमला में सीवरेज स्कीम शिमला टाऊन के निर्माण हेतु ।

संख्या सिंचाई 11-52/2001-शिमला

शिमला-2, 29 अक्तूबर 2001

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला तहसील : शिमला (ग्रा0)

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
सांगटी	42/1/1	0	2
	2/1	1	9
	29/1	0	4
	30/1	0	1

1	2	3	4
	110/34/1	0	1
	110/34/2	0	10
	32/1	0	5
	किल्ला .. 7	2	12

तहसील : शिमला

*गांव पगोग, तहसील व जिला शिमला में सीवरेज स्कीम शिमला टाऊन के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-51/2001-शिमला

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 200.

पगोग	441/1	0	1
	443/1	0	1
	491/1	0	3
	468/1	0	4
	470/1	0	4
	470/2	1	4
	471/1	0	2
	472/1	1	1
	473/1	0	1
	476/1	0	7
	477/1	0	3
	729/480/1	0	1
	483/1	0	4
	488/1	0	2
	462/1	0	1
	किल्ला .. 15	1	19

यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन* हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त* प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

*गांव बड़ाह, तहसील व जिला शिमला में सीवरेज नेट वर्क (पाईप लाईन) के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-91/2000-शिमला

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 2001.

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला तहसील : शिमला (ग्रा0)

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
1	2	3		
बड़ाह	16/1	0	01	48
	26/1	0	01	60
	25/1	0	00	51
	23/1	0	01	76
	किल्ला .. 4	0	05	35

*गांव बड़ाई, तहसील व जिला शिमला में सीवरेज पाईप लाईन के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-50/2001-शिमला

शिमला-2, 2 नवम्बर, 2001.

बड़ाई	1357/710/1	0	5

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 11 अक्तूबर, 2001

संख्या विद्युत-छ-(5) 12/2001.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-8-2001 में गांव शनानदेन, तहसील सांगला, जिला किन्नौर में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में खसरा नम्बर 4 जिसका रकबा 0-01-89 है, के पश्चात तथा खसरा नम्बर व 25 जिसका रकबा 0-07-58 है, से पहले खसरा नम्बर "3/1" रकबा "0-10-86" है, व खसरा नम्बर, "3/2" रकबा "0-15-29" है, जोड़ा जाए। कुल किल्ला 20 के स्थान पर "22" तथा कुल रकबा 0-75-97 के स्थान पर "0-02-12" है पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विद्युत)।

राजस्व विभाग (प्रोजैक्ट सैल),

अधिसूचनाएं

शिमला, 11 अक्तूबर, 2001

संख्या 5-3/88-प्रोजैक्ट.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-8-1996 की निरन्तरता में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला स्तरीय चमेरा परियोजना विस्थापित पुनर्वास एवम् सलाहकार समिति को 2 वर्ष के लिए पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश देते हैं। जिसका उद्देश्य चमेरा परियोजना के प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के निर्माण से विस्थापित हुए व्यक्तियों की समस्याओं से राज्य स्तरीय समिति को सलाह देना है, जो तुरन्त प्रभावी होंगे। इस समिति में निम्नलिखित सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य होंगे :—

1.	राज्य मन्त्री (राजस्व)	अध्यक्ष
2.	राज्य मन्त्री (आयुर्वेदा)	उपाध्यक्ष
3.	श्री हर्ष महाजन विधायक चम्बा	सदस्य
4.	श्रीमती आशा कुमारी विधायक बनीखेत	सदस्य
5.	श्री सुरेश कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत साम्बल्यू, डाकघर खैरी।	गैर-सरकारी सदस्य
6.	श्री व्यास देव प्रधान ग्राम पंचायत शेरपुर, डाकघर शेरपुर।	,,
7.	श्री भगत राम सदस्य साम्बल्यू, डाकघर खैरी	,,
8.	श्री कमल कुमार सुपुत्र श्री परषोत्तम, गांव ब्रांगल, डाकघर भलेई।	,,
9.	श्री जीवन सिंह सुपुत्र श्री माधो, गांव ब्रांगल, डाकघर भलेई।	,,
10.	श्री रत्न चन्द सुपुत्र श्री लच्छ राम, गांव ब्रांगल, डाकघर भलेई।	,,

11. श्री धर्म सिंह चौहान, गांव साल, डाकघर चकलू गैर-सरकारी
12. श्री लोको राम सुपुत्र श्री टिन्कू, गांव व डाकघर चकलू । सदस्य
13. श्री चरण दास सुपुत्र श्री मनसा राम, गांव व डाकघर चकलू । "
14. श्री मदन रावत अध्यक्ष चमेरा विस्थापित कल्याण समिति । "
15. श्री अमर सिंह मान्दला प्रधान चमेरा विस्थापित कल्याण समिति । "
16. श्री नरेश कुमार महासचिव " " "
17. श्री जालम सिंह उप-प्रधान " " "
18. श्री जय सिंह उप-प्रधान चमेरा विस्थापित कल्याण समिति । "
19. महा प्रबन्धक चमेरा हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना-परियोजना डलहौजी । प्रतिनिधि
20. मुख्य अभियन्ता (सिविल) चमेरा परियोजना "
21. आयुक्त (राजस्व) शिमला सरकारी सदस्य
22. उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा "
23. अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई) चम्बा "
24. अधीक्षण अभियन्ता (आप्रेशन) हि0 प्र0 विद्युत डलहौजी । "
25. अधिक्षण अभियन्ता लो0 नि0 वि0 डलहौजी "
26. अरण्यपाल, वन विभाग चम्बा "
27. उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) चम्बा, चुराह, डलहौजी । "
28. भू-अर्जन अधिकारी चम्बा "
29. राहत एवं पुनर्वास अधिकारी, चम्बा सदस्य-सचिव ।

जिलाधीश, चम्बा गैर-सरकारी सदस्य के यात्रा भत्ता बिलों के नियंत्रक अधिकारी होंगे तथा यात्रा भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे ।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों का खर्चा मुख्य शीर्ष 2053 —जिला प्रशासन —093—जिला स्थापना—01 सामान्य स्थापना से देय होगा ।

6. विद्युत विभाग की पूर्व स्वीकृति जो उनके अशा0 पत्र संख्या 850—फिन-सी-ए-(3)-6/93 दिनांक 01-07-1996 के द्वारा ली गई है के पश्चात् अधिसूचना जारी की जा रही है ।

शिमला, 11 अक्तूबर, 2001

नं0 रैव (पी0 सी0) सी (4)-3/96.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-7-2001 का संशोधन करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, राज्य स्तरीय नाथपा झाकड़ी पावर कार्पोरेशन परियोजना व वासपा विस्थापित पुनर्वास एवं सलाहकार समिति में निम्नलिखित पांच सदस्यों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने के सहर्ष आदेश देते हैं जो तुरन्त प्रभावी होंगे ।

1. श्री महेन्द्र सिंह, गांव छोण्डा, डाकघर निगुलसरी
2. श्री श्यामा नन्द, गांव डाकघर चौरा
3. श्री तारा चन्द, दुकानदार, गांव काचे, डाकघर पलिगी, तहसील निचार ।
4. श्री दलीप सिंह, गांव व डाकघर तरण्डा, तहसील निचार
5. श्री शिव कुमार, गांव व डाकघर नाथपा, तहसील निचार

2. इसके अतिरिक्त राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 7 व 8 में दर्शाये गये नाम (भगत सिंह नेगी, श्री चन्द्र सिंह, क्रम संख्या 10 व 22 पर श्री भगत सिंह नेगी, गांव छेन्डा, तहसील निगुलसरी तथा श्री शंकर सिंह, गांव निचार) की सदस्यता को समाप्त करने के भी सहर्ष आदेश देते हैं ।

3. इस समिति के गैर सरकारी सदस्य समिति से सम्बन्धित कार्य के लिए की गई यात्रा/माइलेंज/दैनिक भत्ता लेने के हकदार होंगे ।

4. सचिव/अवर सचिव सचिवालय प्रशासन लेखा हिमाचल प्रदेश गैर सरकारी सदस्यों के नियन्त्रक अधिकारी होंगे तथा उनके यात्रा बिलों को बनायेगी व इसका खर्चा मुख्य शीर्ष 2052—सचिवालय समान्य सेवा —090 सचिवालय—01 मुख्य सचिवालय यात्रा भत्ता खर्चे से देय होगा ।

शिमला-171002, 15 अक्तूबर, 2001

संख्या रैव (पी0 डी0) ई0 (1)-1/94.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 मई, 1999 की निरन्तरता में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला स्तरीय वासपा हाईडल परियोजना विस्थापित पुनर्वास एवं सलाहकार समिति को संसदीय सचिव (जनजातीय विकास) की अध्यक्षता में आगामी दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश देते है । इस समिति के उद्देश्य वासपा हाईडल परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास एवं अन्य समस्याओं का समाधान करना है । इस समिति के गैर-सरकारी और सरकारी सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री चेत राम नेगी, संसदीय सचिव (जनजातीय) अध्यक्ष
2. उपायुक्त किन्नौर उपाध्यक्ष
3. कैप्टन ठाकुरदास (सेवा निवृत्त) गांव व डाकघर कूपा, जिला किन्नौर । गैर सरकारी सदस्य
4. श्री भीम सिंह नेगी सुपुत्र श्री हरनाम सिंह, गांव चमलीग, डाकघर सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर । नथैव
5. श्री विनय सिंह नेगी सुपुत्र श्री अमीर चन्द, गांव व डाकघर सांगला, जिला किन्नौर । नथैव
6. श्री प्रमोद कुमार नेगी सुपुत्र श्री हीरा चन्द, गांव व डाकघर किल्बा, तहसील सांगला (किन्नौर) । नथैव
7. अधिशाषी अभियन्ता (सि0 एवं0 जन-स्वास्थ्य सरकारी सदस्य विभाग), रिकांगपिओ ।
8. अधिशाषी अभियन्ता (लो0 नि0 वि0) कड़छम (किन्नौर) । नथैव
9. अधिशाषी अभियन्ता (हि0 प्र0 वि0) बोर्ड किन्नौर नथैव
10. उपमण्डलाधिकारी (ना0) रिकांगपियो नथैव
11. भू-अर्जन अधिकारी, वासपा, किन्नौर नथैव
12. वन-मण्डलाधिकारी, निचार नथैव
13. परियोजना अधिकारी, (रूडा) नथैव
14. जिला कल्याण अधिकारी, किन्नौर नथैव
15. उपायुक्त, किन्नौर के सहायक आयुक्त सदस्य सचिव

2. उपरोक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति से सम्बन्धित कार्य के लिये की गई यात्रा भत्ता/माईलेज/दैनिक भत्ता नियमानुसार देय होगा ।

3. सरकारी सदस्यों को उन पर लागू यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा ।

4. उपायुक्त किन्नौर गैर-सरकारी सदस्यों के नियन्त्रण अधिकारी होंगे और यात्रा भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे ।

5. यात्रा भत्ते का खर्चा मुख्य शीर्ष 2053—जिला प्रशासन-03—जिला स्थापना 01—सामान्य स्थापना यात्रा भत्ता से देय होगा ।

आदेशानुसार,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व) ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

शिमला-171004, 2 जुलाई, 2001

संख्या 6-62/81-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1974 के नियम, 8 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2001 द्वारा श्री रोशन लाल जम्बाल की उप-सचिव (प्रथम श्रेणी) वेतनमान 12000—15000 रुपये के पद पर दिनांक 1-1-2001 से तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नति को दिनांक 1-7-2001 से नियमित करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-171 004, 2 जुलाई, 2001

संख्या 6-62/81-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1974 के नियम 8 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2000 द्वारा श्री केसर दास, अवर सचिव (प्रथम श्रेणी), वेतनमान 10025-15100 रुपये के पद पर तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नति को दिनांक 1-7-2001 से नियमित करने के महर्ष आदेश देते है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

भाग-2 वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

TOURISM DEPARTMENT

OFFICE ORDER

Kangra, the 16th October, 2001

No. 7-50/2001-DTO(DMA)-1362.—Whereas Kamal Guest House, Pragpur, District Kangra is registered in the name of Smt. Kamla Patial w/o Shri Davinder Singh, r/o Pragpur, Tehsil Dehra, District Kangra *vide* registration No. DMA/HTL-213/2001-275, dated 19-4-2001 under the H. P. Registration of Tourism Trade Act, 1988 and Rules framed thereunder.

Whereas Smt. Kamla Patial, Proprietor of Kamal Guest House, Pragpur has applied for the cancellation of its registration alongwith registration certificate.

Now, therefore, I, Chaman Singh, HAS, District Tourism Development Officer, Kangra at Mcleodganj (Precribed Authority) under the above act in exercise of the powers vested in me *vide* section 13(*d* of the H. P. Registration of Tourist Trade Act, 1988 hereby remove the name of the Guest House from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.

CHAMAN SINGH,
Prescribed Authority,
District Tourism Development Officer,
Kangra at Mcleodganj.

Form 'Q'

FORM OF NOTICE UNDER SECTION 24

Mandi, 18*th October*, 2001

No. 4833-38.—Whereas a notice was served on 29-8-2001 under section 23 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Nain Singh to pay to me the sum of Rs. 3097+ Intt. extra before the 15-9-2001 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 3097+ Intt. extra is due from the said Sari Nain Singh and that the property decribed in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

TWO PERSONAL SURETIES

1. Shri Ram Lal s/o Shri Prem Dass H. No. 184/12, Ram Nagar, Mandi Town.

2. Shri Rattan Chand s/o Shri Parma Nand, Village Tamled P. O. Chowk, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.).

Sd/-
General Manager,
District Industries Centre Mandi (H. P.).

Form 'Q'

FORM OF NOTICE UNDER SECTION 24

Mandi 18*th October*, 2001

No. 4839-44.—Wheres a notice was served on 23-10-2000 under Section 13 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Smt. Kanchan Sharma w/o Shri Mahesh Sharma to pay to me the sum of Rs. 20,000+Intt. extra before 6-11-2000 and whereas the said sum has not been paid. I hereby declare that the sum of Rs. 20,000/+ Interest extra is due from the said Smt. Kanchan Sharma and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

TWO PERSONAL SURETIES

1. Shri Sudesh Kumar s/o Shri Devi Chand H. No. 59/10, Chabata Bazar, Mandi Town (H. P.).

2. Shri Hans Raj Malhotra s/o Shri Hem Raj Malhotra, H. No. 64/1, Khaliar, Mandi Town (H. P.).

Sd/-
General Manager,
District Industries Centre Mandi (H. P.).

भाग-3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेंशयल कमिश्नर तथा कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि।

सामान्य प्रशासन विभाग
("क" अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171 002, 10 सितम्बर, 2001

संख्या जी0 ए0 डी0-ए0 (ए0) (3-1/77-11.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कर्मशाला सहायक, वर्ग-4 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सचिवालय (सामान्य प्रशासन विभाग) कर्मशाला सहायक, वर्ग-4 (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या जी0ए0 डी0-ए0 (ए0) 3-1/77, तारीख 5-11-1988 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमैंट ("ए" सैक्शन) वर्कशाप टैक्नीकल सर्विसिज रैक्रूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 1988 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक कि ये कर्मशाला सहायक के पद से सम्बन्धित हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, दावा या कार्यवाही इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

उपाबन्ध "क"

सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कर्मशाला सहायक के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	कर्मशाला सहायक
2.	पदों की संख्या	6 (छः)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-4 (अराजपत्रित) अतकनीकी ।
4.	वेतनमान	रु0 2720-100-3220-110-3660-120-4260.
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य : परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गये हैं/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष में जिसमें कि पद (पदों) को रोजगार केन्द्रों को विज्ञापित किया गया है या जैसा भी किसी मामले में अपेक्षित हो, के प्रथम दिवस से की जाएगी। (2) अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	(क) अनिवार्य अर्हताएं : (i) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा पास की हो । (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा । (iii) हल्के मोटर वाहनों के आम कल पुर्जों का ज्ञान होना चाहिए । (ख) वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताये प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नही
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा ।	लागू नहीं (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवा-काल के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, बशर्ते कि समीर्ण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर की गई हो । (i) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण

	पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा/नियमित सेवा नियुक्ति सहित *i. e.* followed by regular service/appointment को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :		
	परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :		
	परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।		
स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।		
	(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, बशर्ते संमीर्ण पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो :		
	परन्तु 31-3-1998 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारम्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।		
	12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।	लागू नहीं	
	13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।	
	14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।	
	15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तियों के लिये चयन।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	
	16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।	
	17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।	

[Authoritative English text of this department's notification No. GAD-A (A) 3-1/77-II, dated the 10th September, 2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(A-Section)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th September, 2001

No. GAD-A (A)3-1/77-II.—In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Workshop Helper, Class-IV (Non-Gazetted), in the General Administration Department, Himachal Pradesh, Secretariat as per Annexure "A" attached to this Notification, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Secretariat General Administration Department, Workshop Helper, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H. P.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh General Administration Department (A-Section) Workshop Technical Services, Recruitment and Promotion

Rules, 1988, notified *vide* notification No. GAD-A (A) 3-1/77, dated 5th November, 1988 are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Workshop Helper.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under rule 2 (1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF WORKSHOP HELPER (NON-GAZETTED) CLASS-IV IN THE DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION, HIMACHAL PRADESH SECRETARIAT, SHIMLA-2

1.	Name of the post	Workshop Helper
2.	Number of posts	6 (Six)
3.	Classification	Class-IV (Non-Gazetted) Non-Technical.
4.	Scale of pay	Rs. 2720-100-3220-110-3660-120-4260.
5.	Whether selection post or Non-Selection post.	N. A.
6.	Age for direct recruitment.	Between 18 years and 45 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment : Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Antonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies. (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be. (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Recruitmemt Authority in case the candidate is otherwise well qualified.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	(*a*) *Essential :* (*i*) Should have passed Middle Standard or equivalent examination from a Board of School Education recognised by Central/State Government. (*ii*) ITI trained persons in Motor Mechanic Trade will be given preference. (*iii*) Knowledge of general main parts of light motor vehicles. (*b*) *Desirable Qualification*: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	*Age:* Not applicable *Educational Qualifications*: Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer is to be made.	N. A.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the *ad hoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that:—

(*i*) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998 followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R & P Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Not applicable
13.	Circumstances under which the H.P. P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test, if the recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the recruiting authority as the case may be.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or category of persons or posts.

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान के संदाय विनियमित करने के लिए नियम, 1972

नियमों का क्रम

नियम :

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ ।

2. परिभाषाएं ।

3. प्रयोजन जिसके लिए सहायता अनुदान दिया जा सकेगा ।

4. सहायता अनुदान के संदाय के लिए शर्तें ।

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जनवरी, 1973

संख्या 2-142/69-एस0आई0(के0 बी0).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 की धारा 35 के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता अनुदान के संदाय के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(*i*) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान के संदाय को विनियमित करने के लिए नियम, 1972 है ।

(*ii*) ये तुरन्त प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(*i*) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का 8) अभिप्रेत है;

(*ii*) "नियम" से, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नियम, 1966 अभिप्रेत है;

(*iii*) "बोर्ड" से, धारा 3 (*i*) के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है;

(*iv*) इन नियमों में, शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के हैं ।

3. प्रयोजन जिसके लिए सहायता अनुदान दिया जा सकेगा.—हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान दिया जा सकेगा :—

(*i*) बोर्ड द्वारा नियोजित प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्तों के मद्दे प्रशासनिक व्यय की पूर्ति ।

(*ii*) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, सचिव, सदस्यों और अन्य सहयुक्त व्यक्तियों के मानदेय, यात्रा और दैनिक और अन्य भत्तों के मद्दे व्यय की पूर्ति ।

(*iii*) आकस्मिक और अन्य प्रभारों के व्यय की पूर्ति ।

(*iv*) बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए कार्यालयों, गोदामों तथा वर्कशैडों आदि के आवास व्यवस्था के लिए इमारतों, गोदामों, वर्कशैडों के निर्माण, क्रय और किराये पर लेने के लिए व्यय की पूर्ति ।

(*v*) मशीनरी, औजारों और उपस्कर तथा वाहनों के क्रय और रख-रखाव पर व्यय की पूर्ति ।

(*vi*) खादी और ग्रामोद्योग के विकास के संप्रवर्तन, प्रोत्साहन और सहायता के लिए बोर्ड के व्यापार और कारोबार के क्रियाकलापों के मद्दे व्यय की पूर्ति ।

(*vii*) खादी और ग्रामोद्योग के प्रभावी विकास पर प्रशिक्षण और अनुसन्धान के मद्दे व्यय की पूर्ति ।

(*viii*) खादी और ग्रामोद्योग के विकास से सम्बद्ध औजारों और उपस्करों के विनिर्माण पर व्यय की पूर्ति ।

(*ix*) विज्ञापन और प्रचार और भण्डार, दुकानें, वाणिज्य केन्द्र खोल कर और प्रदर्शनियों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन आयोजित करने के मद्दे करने व्यय की पूर्ति ।

(*x*) किसी अन्य मद्दे व्यय की पूर्ति जो बोर्ड के लक्ष्यों और उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो ।

4. सहायता अनुदान के संदाय के लिए शर्तें.—(*i*) सरकार, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करने के पश्चात् और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन बोर्ड के प्रशासनिक व्यय की सहायता अनुदान के रूप में शतप्रतिशत संदाय करेगी ।

(*ii*) सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करने के पश्चात् और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन जैसी वह आवश्यक समझे प्रशासनिक व्यय से भिन्न व्यय बोर्ड को सहायता अनुदान के रूप में संदत्त कर सकेगी ।

(*iii*) बोर्ड द्वारा सरकार के सहायता अनुदान में से पूर्णतया सारतः अर्जित आस्तियां सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए थे से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्ययनित, विल्लगमित और उपयोग नहीं की जाएगी ।

(*iv*) बोर्ड स्थायी और अर्ध-सरकारी आस्तियों के लिए विहित प्ररूप में सरकार द्वारा एक रजिस्टर रखेगा (सरकारी अनुदानों में पूर्णतः या मुख्यतया से अर्जित) और उसकी प्रतिलिपि सरकार को प्रतिवर्ष दी जाएगी । यह रजिस्टर स्थानीय संपरीक्षा संवीक्षा के अध्यधीन होगा ।

(*v*) बोर्ड ऐसे सहायता अनुदानों का यथोचित अभिलेख रखेगा जैसी इसे समय-समय पर सरकार द्वारा दी जाती है और ऐसे अभिलेख सरकार के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा और संपरीक्षा की संवीक्षा के लिए खुला रहेगा ।

(*vi*) बोर्ड इसे दी गई सहायता अनुदान को केवल उसी प्रयोजन के लिए या प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जिसके लिए ये दी गई हैं ।

(*vii*) बोर्ड सरकार को उस प्रभाव का प्रमाण-पत्र देगा कि इसे संदत्त सहायता अनुदान संदाय की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्णतया उपयोग की जा चुकी है ।

(*viii*) बोर्ड इसे सहायता अनुदान के रूप में संदत्त किसी राशि को, जो उस प्रयोजन जिसके लिए यह दी गई थी, अनुपयोजित रही हो, उपयोग अवधि के अवसान से तीन मास के भीतर सरकार को प्रतिदाय करेगा ।

(*ix*) बोर्ड सहायता अनुदान को खादी और ग्रामोद्योग और क्रमशः पर्यवेक्षकों और निरीक्षण कर्मचारीवृन्द सहित केन्द्रीय कार्यालय पर 40 : 10 : 50 के अनुपात में व्यय करेगा ।

पी0 के0 मट्टू,
सचिव ।

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-1, 8 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85 (लैब0) आई0 डी0 भाग-BBNTT.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Gain Chand s/o Shri Gauri Nand, Village and P.O. Chakmoh,

Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, and Chairman Baba Balak Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है :

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the retrenchment of the Services of worker Shri Gian Chand s/o Sh. Gauri Nand by the Chairman, Baba Balak Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub-Divisional Officer (C), Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H. P.) *w. e. f.* 16-12-1998 is legal and justified. If not, what relief of back wages, seniority, service benefits and amount of compensation the above workman is entitled to ?".

शिमला-1, 8 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85 (लैब0) आई0 डी0 भाग-BBNTT. अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Mohan Singh s/o Sh. Ghalu Ram, Village Khajri, P. O. Chuhakoo, Tehsil Padar, Distt. Mandi and the Range Officer (Forest), Joginder Nagar, Distt. Mandi (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Mohan Singh s/o Shri Ghalu Ram by the Range Officer, Joginder Nagar, *w. e. f.* 1-10-1991 without complying of section 25F of the Industrial Dispute Act, 1947 is legal or illegal ? If illegal, what relief of service benefits, backwages and amount of compensation Sh. Mohan Singh is entitled to ?"

शिमला-1, 9 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85 (लैब0) आई0 डी0-भाग-BBNTT.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Banku Ram s/o Shri Shadi Lal, V.P.O. Karer, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.) and the Chairman, baba Balak Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur H. P. *cum*-Sub-Divisional Officer (C), Sub-Division Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिये भेजा जाता है : —

"Whether the retrenchment of the services of Shri Banku Ram s/o Shri Shadi Lal, Vill. and P. O. Karer, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H. P. by the Chairman, Baba Balak Nath Temple Trust, Deot-sidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub-Division Barsar, District Hamirpur, H. P. *w.e.f.* 16-12-1998 is legal and justified ? If not, what relief of back wages, seniority, service benefits and amount of compensation the above workman is entitled' to?"

शिमला-1, 15 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85. (लैब0) आई0 डी0 भाग-BBNTT.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rakesh Kumar s/o Shri Karam Chand, Village Tikkar, P. O. Maharala, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H. P.-*cum*-Chairman, Baba Balak Nath Temple Trust, Deot-sidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub-Divisional Officer (C) Sub Division Barsar, District Hamirpur, (H. P) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the retrenchment of the services of Shri Rakesh Kumar s/o Shri Karam Chand by the Chairman- Baba Balak Nath Temple Trust, Deot sidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H. P.-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub-Division Barsar, District Hamirpur, H. P. *w.e. f.* 16-12-1998 is legal and justified. If not, what relief of back wages, seniority and amount of compensation the above workman is entitled to ?".

शिमला-1, 15 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-23/83 (लैब0) आई0 डी0-भाग-II (Una).—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Naresh Rana, s/o Shri Joginder Singh, Sharma Niwas, Pari-Mahal, Kasumpti, Shimla-9 and Secretary, M/s Shivalik Khadi Ashram, Una, H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of the services of Shri Naresh Rana *w. e. f.* 25-2-1993, by the Management of M/s Shivalik Khadi Ashram, Santosh-Garh, Distt. Una, H. P. is legal and justified ? If not, what compensation and continuity of service the above workman is entitled to?"

शिमला-1, 15 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85 (लैब0) आई0 डी0 भाग-BBNTT.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Jagan Nath s/o Shri Sunder Ram Village Ser, P.O. Tiper, Tehsil Barsar, District Hamirpur and Chairman, Baba Balk Nath Temple Trust Deotsidh, Barsar, Hamirpur-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub Division Barsar, District Hamirpur (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम(लूज), दिनांक 7 सितम्बर,1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the retrenchment of services of worker Jagan Nath s/o Shri Sunder Ram by the Chairman, Baba Balak Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur-*cum*-Sub-Divisional Officer (Civil), Sub-Division Barsar, District Hamirpur, Himachal Pradesh *w. e. f.* 16-12-1998 is legal and justified? If not, what relief of back wages, seniority, service benefits and amount of compensation the above workman is entitled to ?".

शिमला-1, 15 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85 (लैब0) आई0 डी0-भाग-BBNTT.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Garib Dass, s/o Shri Dhani Ram, Village Kharma P.O. Balia- Tehsil Barsar, District Hamirpur and Chairman, Baba Balak Nath Temple Trust, Deotsidh, Barsar, Hamirpur-*cum*-Sub-Divisional Officer (C) Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the retrenchment of the service of worker Shri Garib Dass s o Shri Dhani Ram by the Chairman, Baba Balk Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub Division Barsar, District Hamirpur H. P. *w.e.f.* 16-12-98 is legal and justified? If not, what relief of back wages, seniority, service benefits and amount of compensation the above workman is entitled to?"

शिमला-171001, 15 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85 (लैब0) आई0 डी0 भाग-BBNTT.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Banku Ram s/o Shri Roshan Lal, Village Suglani, P.O. Dhagota, Tehsil Barsar, District Hamirpur, H. P. and Chairman, Baba Balak Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub Division Barsar, Distrtct Hamirpur (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"whether the retrenchment of the services of Shri Banku Ram s/o Shri Roshan Lal by the Chairman, Baba Balk Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub-Division Barsar, District Hamirpur H. P. *w.e.f.* 16-12-1998 is legal and justified, if

not, what relief of back wages, seniority service benefits and amount of compensation the above workman is entitled to?

शिमला-1, 15 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85-(लैब0) आई0 डी0 भाग-BBNTT.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mohinder Singh s/o Shri Krishan Dayal, V.P.O. Dhgota, Tehsil Barsar, District Hamirpur, Himachal Pradesh and Chairman, Baba Balak Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub Division Barsar, District Hamirpur, (H P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है : —

"Whether the termination of the services of Shri Mohinder Singh s/o Shri Krishan Dayal by the Chairman, Baba Balk Nath Temple Trust, Deotsidh, Tehsil Barsar, District Hamirpur-*cum*-Sub Divisional Officer (C) Sub Division Barsar, District Hamirpur, H. P. *w. e. f.* 16-12-1998 is legal and justified If not, what relief of back-wages, seniority, service benefits and amount of compensation the above workman is entitled to?

शिमला-1, 27 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/85 (लैब0) आई0 डी0-भाग-V-Kangra.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Manohar Lal s/o Shri Roshan Lal, V.P.O. Sathana, Tehsil Fatehpur, District Kangra H. P. and M/s Himachal Carbon Pvt. Ltd. Industrial Area, Sansarpur Terrace, District Kangra (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है: —

"Whether the termination of the services of Shri Manohar Lal s/o Shri Roshan Lal *w. e. f.* 6-5-2000 by the Management of M/s Himachal Carbon Pvt. Ltd., Plot No.-59 to 62, Industrial Area, Sansarpur Terrace, District Kangra (H. P.) without complying the section 25F of the Industrial Dispute Act 1947 is Legal and justified. If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above workmen is entitled to?"

शिमला-1, 27 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/93 (लैब0) आई0 डी0-भाग-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Gurmel Singh s/o Shri Ram Kishan c/o Shri Vilyati Ram, House No. 235, Vitna Colony, Pinjore, Punchkulla, Haryana and M/s Raja Forging and Gears Ltd, Gear Division, Sai Road Baddi, District Solan, (H P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the domestic Enquiry conducted by M/s Raja Forging and Gears Ltd; Baddi against Shri Gurmel Singh c/o Shri Valyati Ram, House No. 235, Vitna Coloney Pinjore (Punchkulla) Haryana and termination thereafter *w.e.f.* 9-5-2000 is proper and justified ?if not, what relief of service benefits and amount of compensation the aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 27 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-23/84/2001 (लैब0) आई0 डी0-भाग-Mandi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Leela Dass s/o Shri Mansa Ram, Vill. Baag Shalana, P. O. Karsog, District Mandi, H. P. and Divisional Forest Officer, Karsog Forest Division, District Mandi, (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा(5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of the services of Shri Leela Dass s/o Shri Mansa Ram *w. e. f.* 4-1-1997 as alleged by workmen, after completing 10 years of services and without complying the provisions of the Industrial Dispute Act, 1947 by the Divisional Forest Officer, Forest Division Karsog, Distt. Mandi H P. is justified and proper? If not

what relief of back wages, continuity of service, seniority and amount of compensation the above workman is entitled to?"

शिमला-1, 27 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/93-(लैब) आई0 डी0 भाग-Solan.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Deva Nand c/o Shri Mukesh Kumar, H. No. 832/13, Ward No. 15 Ahata Chattersain, Kalka, District Punchkula, Haryana and M/s Hitkari Industries Ltd. Plot No. 18, Sector-I, Parwanoo. District Solon, (H. P) के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether Shri Deva Nand Mishra has abondend the Employment of M/s Hitkari Industries Ltd. Plot No.-18, Sector-I, Parwanoo, District Solan H.P. at his own by remaining absent from job without any information *w.e.f.* 27-11-1999 as alleged by the Management, is justified and proper? If not, to what relief including compensation, backwages and continuity of service the above workman is entitled to ?"

शिमला-1, 27 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/93 (लैब0) आई0 डी0-भाग-Nalaggarh.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Amar Chand s/o Shri Babu Ram C/o Shri Bal Krishan Sharma Excise and Taxation Officer, Nalagarh, District Solan (H.P.) and M/s Sidhartha Spinning Mills Ltd. Nihal Kheda, Nalagarh, Distt. Solan, H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the services of Shri Amar Chand s/o Shri Babu Ram *w. e. f.* 7-2-2000 by the management of M/s Sidhartha Super Spining Mills Ltd. Nihal-Kheda, Nalagarh is legal and justified. If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above workman is entitled to ?".

शिमला-1, 27 अक्तूबर, 2001

संख्या 11-1/86 (लैब) आई0 डी0-भाग-I-Nahan. —अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Jogi Ram s/o Shri Mohi Ram, Vill. Shirgoan. P. O Shilla, Sub-Tehsil Kamrao, Distt. Sirmaur and the Divisional Forest Officer, Renukaji, Distt. Sirmaur, H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Jogi Ram s/o Shri Mohi Ram by the Divisional Forest Officer, Renukaji Forest Division, Renukaji, Distt. Sirmaur, H.P. *w.e.f.* August, 1999 without by notice, chargesheet, enquiry and without complying the provisions of Industrial Dispute Act, 1947 is legal and justified ? If not, what relief of service benefits, backwages, seniority, and amount of compensation the above workman is entitled to ?"

हस्ताक्षरित/-
श्रमायुक्त।

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 जुलाई, 2001

संख्या कल्याण-ए(3)-3/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण-ए(3)-3/88, तारीख 8-4-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, समाज एवं महिला कल्याण विभाग में अधीक्षक, ग्रेड-I (वर्ग-II, राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश समाज एवं महिला कल्याण विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-II राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश समाज एवं महिला कल्याण विभाग अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-II, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध-"अ" में :—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात :—

"रु0 7230-220-8100-275-10300-340-11660"

(ख) *स्तम्भ संख्या-ii* के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात :—

अधीक्षक ग्रेड-II/निजी सहायकों में से, जिनका अपने-अपने ग्रेड में तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल 31-3-98 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को शामिल करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर अधिक्षक ग्रेड-II/निजी सहायकों में से जिनका अधीक्षक ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक और निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्त रूप से 9 वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-3-1998) तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल, प्रोन्नति द्वारा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी । परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुक्रम में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण.— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अप्रभावित रहेगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

आयुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. WLF-A (3)-3/88, dated 20-7-2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th July, 2001

No. WLF-A(3)-3/88.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules to amend the Himachal Pradesh Social and Women's Welfare Department, Superintendent Grade-I (Class-II Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* this department notification No. WLF-A(3)-3/88, dated 8-4-1997, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Social and Women's Welfare Department, Superintendent Grade-I (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2001.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A".*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Social and Women's Welfare Department, Superintendent Grade-I (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 :—

(*a*) For the existing provision against Col No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 7220-220-8100-275--10300-340-11660."

(*b*) For the existing provision against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely :—

By promotion from amongst the Superintendent Grade-II and Personal Assistants who possess 3 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any in their respective grades failing which by promotion from amongst the Superintendents Grade-II and Personal Assistants who possess nine years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any as Superintendents Grade-II and Senior Assistants and as Personal Assistants and Senior Scale Stenographer combined.

For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials of the posts of Superintendent Grad-II and personal Assistent on the basis of lenth of service without disturbing their *inter-se*-seniority, shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* seruice rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R &P Rules, provided that :—

that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be

ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 5 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical) Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 10 अक्तूबर, 2001

संख्या वाई0 एस0 एस0-बी0(4)-3/2001.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्या वाई0 एस0 एस0 बी0 (2) 10/84, तारीख 15-6-85 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश माउंटेनेरिंग एण्ड एलाईड स्पोर्टस मनाली बोटमैन क्लास-III (नान-गजेटिड) रैकरूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल, मनाली वर्ग-III, अराजपत्रित (बोटमैन) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनैक्सचर "ए" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माउंटेनेरिंग एण्ड एलाईड स्पोर्टस मनाली क्लास-III, नान-गजेटिड (बोटमैन) रैकरूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 1985 के अनैक्सचर "ए" में:—

(क) स्तम्भ संख्या 5 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 रुपये"।

(ख) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर अंकों और शब्दों "18 से 32 वर्ष" के स्थान पर अंक और शब्द "18 से 45" वर्ष प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of this department Notification No., YSS-B(4)-3/2001 dated 10th October, 2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

YOUTH SERVICES AND SPORTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 10th October, 2001

No. YSS-B(4)-3/2001.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules to amend the Himachal Pradesh Mountaineering and Allied Sports, Manali, Boatman, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1985 notified *vide* this department notification No. YSS-B 2 10/84, dated 15-6-1985, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Mountaineering and Allied Sports, Manali, (Class-III, Non-Gazetted) (Boatman) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2001.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment in Annexure "A".*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Mountaineering and Allied Sports Manali (Class-III, Non-Gazetted) (Boatman) Recruitment and Promotion Rules, 1985:—

(*a*) For the existing provisions against Col. No. 5, the following shall be substituted, namely:—

"Rs. 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160."

(*b*) For the existing provisions against Column No. 6 for the words and figures "between 18 and 32 years" the words and figures "between 18 and 45 years" shall be substituted.

By order,

Sd/-
Commr.-cum-Secretary.

भाग-4—स्थानीय स्वायत शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

-शून्य-

भाग-5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

न अदालत श्री डी0 के0 रत्न (हि0 प्र0 से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री अनिल भल्ला पुत्र धर्मवीर भल्ला, निवासी लाहरी, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत इन्द्राज परिवार ग्राम पंचायत खजियार।

श्री अनिल भल्ला ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके व उसके परिवार का इन्द्राज ग्राम पंचायत खजियार के रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज नहीं है जिसके इन्द्राज हेतु प्रार्थना की है जैसा की हाशिये में अंकित है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त न होने

की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री अनिल भल्ला पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रम संख्या	नाम
1.	अनिल भल्ला सपुत्र धर्मवीर भल्ला।
2.	नीरू भल्ला पत्नी अनिल भल्ला।
3	अमन भल्ला सुपुत्र अनिल भल्ला।
4	रोशनी भल्ला पुत्री अनिल भल्ला।

आज दिनांक 17-10-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया है।

मोहर।

डी0 के रत्न,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब सीता राम शर्मा, तहसीलदार बड़ोह, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

हरी राम पुत्र निक्कू राम, निवासी महाल मोरठ, मौजा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरी सिंह पुत्र निक्कू राम, निवासी महाल मोरठ, मौजा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री सोनी का जन्म दिनांक 12-2-1996 को पंचायत मोरठ (जसाई) तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा में हुआ है, लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत मोरठ (जसाई) तहसील बड़ोह के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी का कोई एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 21-11-2001 को असालतन व वकालतन इस अदालत/कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवे तथा अपने उजर व एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जावेगा कि किसी को इस पंजीकरण बारे कोई आपत्ति न है तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 2-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

सीता राम शर्मा,
तहसीलदार बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब सीता राम शर्मा, तहसीलदार बड़ोह, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

हरी राम पुत्र निक्कू राम, निवासी महाल मोरठ, मौजा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरी राम पुत्र निक्कू राम, निवासी महाल मोरठ, मौजा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री सपना का जन्म दिनांक 12-1-1998 को पंचायत (मोरठ) जसाई तहसील बड़ोह में हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत मोरठ (जसाई) के रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारा किसी को कोई एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 21-11-2001 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर व एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को इस पंजीकरण बारे कोई आपत्ति नहीं है तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 2-10-2001 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

सीता राम शर्मा,
तहसीलदार बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 66/2000/तह0 उनवान तकसीम भूमि।

1. श्रीचन्द, 2. व्रत राज पुत्रान प्रवीण, वासी भुलाणा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

1. रत्न चन्द पुत्र बचित सिंह, 2. सुरजीत चन्द, 3. रणजीत सिंह पुत्रान, 4. रमेश कुमारी, 5. कमलेश कुमारी, 6. विजय कुमारी, 7. अनीता कुमारी पुत्रियां, 8. कौशल्या देवी विधवा ठाकुर चन्द, वासी भुलाणा, तहसील बैजनाथ . . प्रत्यार्थी।

तकसीम भूमि खाता नं0 67, खतौनी नं0 114, खसरा किता 2, रकबा तादादी 0-13-53 हैक्टेयर, महाल चकोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री चन्द व व्रत राज पुत्रान प्रवीण चन्द, वासी भुलाणा, तहसील बैजनाथ ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस न्यायालय में दायर किया है कि अपना खाता अलग करवाना चाहता है। प्रतिवादी को बार-बार समन जारी किए गये परन्तु तामील आसान ढंग से नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20-11-2001 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जगदीश राम, तहसीलदार/सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी खुंडियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा दरुस्ती नाम।

श्रीमती माया देवी विधवा हरि चन्द, निवासी महाल सलिहार मौजा गम्बाड़, तहसील खुंडियां . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.—दरुस्ती नाम रमाल राम की बजाए राज कुमार बारे।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी।

श्रीमती माया देवी वि0 हरि चन्द, निवासी महाल सलिहार मौजा गम्बाड़, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में

प्रार्थना-पत्र व बयान हलफीया पेश किया कि उसके लड़के का नाम स्कूल के अभिलेख में राज कुमार पुत्र हरि चन्द है । परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम चमारू राम दर्ज है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का चमारू राम उर्फ राज कुमार पुत्र हरि चन्द के नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन तारीख पेशी 23-11-2001 को पेश करें। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ ।

मोहर । जगदीश राम,
सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी, खड़ियां, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री मनोहर लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 ..... उनवान मुकद्दमा तारीख पेशी .....

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी समकेहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

विषय :—नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र ।

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी समकेहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम चतर सिंह है जो कि राजस्व अभिलेख में चतरू गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसकी दुरुस्ती करवाना चाहता है ।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर असालतन या वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश दुरुस्ती पारित कर दिये जाएंगे ।

आज दिनांक 10-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । मनोहर लाल,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री मनोहर लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 .... उनवान मुकद्दमा तारीख पेशी ....

श्री भिलखी राम पुत्र श्री राम सिंह, निवासी पलोहड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश वादी ।

बनाम

1. सर्वश्री जगदीश, 2. हरि राम, 3. सोम दत्त, 4. सुशील कुमार पुत्रान व 5. श्रीमती विमला देवी, 6. कान्ता देवी पुत्रियां सन्तू, 7. कुमारी वीना, 8. कुमारी बेबी पुत्रियां भीमा देवी पुत्री सन्तू, 9. संजीव कुमार, 10. सुधीर कुमार, 11. सतिन्दर कुमार, 12. लाल चन्द पुत्रान शकुन्तला, देवी पुत्री सन्तू, 13. वृधि प्रकाश, 14. करम चन्द, 15 अशवनी कुमार पुत्रान कालू, निवासीयान पलोहड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण ।

प्रार्थना-पत्र बराये तकसीम भूमि आराजी खाता नं0 40, खतौनी नं0 76 ता0 78, खसरा नं0 270, 271, 274, 277, 279, 272, 273, 275, 276, 268, 269, 278, 280, कित्ता 13, रकबा तादादी 1-57-40 हैक्टेयर, वाक्या महाल गगेहड़, मौजा पलोहड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गये परन्तु प्रतिवादीगण नौकरीपेशा या शादीशुदा होने के कारण उन पर समनों को तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकी । अतः बजरिया इश्तहार उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 20-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 20-9-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । मनोहर लाल,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जस्वां, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ।

रण पाल

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री रण पाल सिंह पुत्र श्री सोम नाथ वासी बनूड़ी ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री रेणू बाला का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है । अब दर्ज किया जावें । इसकी पुत्री की जन्म तिथि 2-4-1990 है । तथा बच्ची का जन्म गांव बनूड़ी में हुआ है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करवाने और कोई आपत्ति अगर हो तो वह दिनांक 28-11-2001 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर आ कर पेश करें । अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जस्वां स्थित कोटला, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जस्वां, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ।

रण पाल

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री रत्न पाल सिंह पुत्र श्री सोम नाथ, वासी बनूही ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र विशाल कुमार का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है । अब दर्ज किया जाए । इसके पुत्र की जन्म तिथि 12-11-1996 है तथा बच्चे का जन्म गांव बनूही में हुआ है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करवाने बारे अगर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-11-2001 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी नछिन्ते के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर हो कर पेश करें । अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जस्वां स्थित कोटला,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जस्वां, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ।

रत्न पाल

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री रत्न पाल सिंह पुत्र श्री सोम नाथ, वासी बनूही ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है उसकी पुत्री पूजा कुमारी का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवायी गयी है । अब दर्ज किया जावे । इसके पुत्री की जन्म तिथि 23-3-1994 है । तथा बच्चे का जन्म गांव बनूही में हुआ है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धी रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करवे बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-11-2001 को समय दस बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी न छिन्ते के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर आ कर पेश करे । अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 16-10-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जस्वां स्थित कोटला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जस्वां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा: जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ।

रत्न पाल

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री रत्न पाल पुत्र श्री सोम नाथ, वासी बनूही ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है जिसके पुत्र दीपक कुमार का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है । अतः अब दर्ज किया जावे । इस के पुत्र की जन्म तिथि 11-7-1992 है तथा बच्चे का जन्म गांव बनूही में हुआ है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति अगर कोई हो तो वह दिनांक 28-11-2001 को समय प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा किसी नछिन्ते के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर आकर पेश करें, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 16-11-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जस्वां स्थित कोटला, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

CHANGE OF NAME

I, Rajesh s/o Shri Amar Singh, r/o VPO Patti, Tehsil Palampur, District Kangra (H. P.) have changed my Name from Rajesh to Rajesh Choudhary.

All concerned please note for future.

RAJESH CHAUDHARY,
V.P.O. Patti, Tehsil Palampur,
District Kangra (H. P.).

In the Court of Shri Ravinder Prakash, Senior Sub Judge, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of : Succession Act No. 19/2001.

1. Lekh Raj son of Shri Ganga Ram, 2. Sukh Ram son of Shri Ganga Ram, 3. Prabhi Devi d/o Shri Masadi, 4. Geeta Devi d/o Shri Masadi, All residents of Village Dhonalag, Sub-Tehsil Baldwara, District Mandi, Himachal Pradesh ..*Petitioner.*

Versus

General public ..*Respondents.*

Application Under Section 372 of Indian Succession Act.

To

The general public.

Wherein above noted case the petitioners have filled the application for the grant of succession certificate under the provision of Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 and the same is fixed for 21-11-2001 for the service of General Public/respondent.

Hence this proclamation under order 5, Rule 20(1-A) C. P. C. is hereby issued against the above noted respondent/general public to appear in this Court on 21-11-2001 at 10.00 A.M. personally or through pleader to defend the case failing which the above noted respondent, general public shall be proceeded *ex parte*.

Given under my hand and the seal of this Court today the 21st September, 2001.

Seal.

RAVINDER PRAKASH
Senior Sub-Judge,
Mandi, District Mandi,
Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Ravinder Prakash, Senior Sub Judge, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of : Guardian and Ward Act No. 18/2001.

Shrimati Ram Payari wd/o Shri Totu Ram, r/o Village Gamdhol, Post Office Sai Galu, Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh through her special Power of Attorney Shri Jiwan Lal s/o Shri Totu Ram, ..*Petitioner.*

Versus

general public ..*Respondent.*

Application under section 7 & 8, read with section 10 of the Guardian and Ward Act, 1890.

To

The general public

Wherein above noted case the petitioner has filed an application for the appointment of the petitioner as guardian of the person and property of the minors Yashpal, Mukesh Kumar, and Rakesh Kumar sons of late Shri Chaman Lal s/o Shri Totu Ram, r/o village Gamdhol (Nalsan), Post Office Sai Galu, Sub-Tehsil Kotli, District Mandi, Himachal Pradesh under the provision of section 7 and 8 read with section 10 of the Guardian and Ward Act, 1890 and the same is fixed for 20-11-2001 for the service of general public/ respondent.

Hence, this proclamation under order 5, rule 20(1-A) C. P. C. is hereby issued against the above noted respondant/general public to appear in this Court on 20-11-2001 at 10.00 A. M. personally or through pleader to defend the case failing which the above noted respondent/general public shall be procceded *ex parte*.

Given under my hand and the seal of this Court today the 19th October, 2001

Seal. RAVINDER PRAKASH,
Senior Sub Judge,
Mandi, District Mandi,
Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री एच0 एस0 पुन्डीर, कुलैक्टर उप-मण्डल चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री अतर सिंह पुत्र श्री नरायण सिंह, ग्राम निवासी मझोटली, परगना चांजू तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..प्रार्थी ।

बनाम

1. श्री गुरदीता मल पुत्र श्री नामालूम, जिला होशियारपुर पंजाब (भारत) मुतैहन ।

2. ग्राम जनता ..प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र प्रत्यपर्ण भूमि रैहन भू-राजस्व अधिनियम, 1976 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत ।

इश्तहार बनाम ग्राम जनता ।

हरगाह आपको सूचित किया जाता है कि श्री अतर सिंह पुत्र श्री नरायण सिंह ग्राम मझोटली परगना चांजू, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में जेर धारा 3 (2) उपरोक्त अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि श्री गुरदीता, जिला होशियारपुर पंजाब के नाम अराजी खाता खतौनी नं0 6/12 खसरा नम्बर 1370/1192 रकबा तादादी 0-4 बिस्वा वक चौपाल में बतौर मुतैहन जमाबन्दी वर्ष 1998-99 कागजात माल में इन्द्राज है । प्रार्थी के शपथ-पत्र के मुताबिक श्री गुरदीता मुतैहन लाबल्द फौत होना बताया जाता है । प्रार्थी श्री अतर सिंह इस रकबा से मुतैहन के इन्द्राज को कटवाना चहाता है ।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस रकबा से मुतैहन का इन्द्राज कटवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 21-11-2001 को प्रातः 10 00 बजे मेरी अदालत मुकाम चौपाल में हाजर आकर पेश करें। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 4-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । एच0 एस0 पुन्डीर,
कुलैक्टर उप-मण्डल चौपाल,
जिला शिमला (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री ओ0 पी0 नेगी, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : इन्तकाल मुकद्दमा, उल खबरी ।

श्री मोलक राज पुत्र स्वर्गीय प्यारे लाल, निवासी झाखड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला ।

बनाम

अराजी मालकान व वारसान मुहाल झाखड़ी ।

विषय :—अदालती इश्तहार गुम शुदा मालिक श्रीमती वांका देई पुत्री प्यारे लाल, निवासी झाखड़ी की अचल सम्पति के प्रकाशन बारे ।

मुहाल झाखडी में प्रार्थी श्री मोलक राज के नाम इन्तकाल नम्बर 333 मकफूल उल खबरी बावत लाई लमी श्रीमती वांका देई पुत्री स्वर्गिया प्यारे लाल, 1/6 भाग वाकी वदस्तूर 5/6 भाग का दर्ज हुआ है। श्रीमती वांका देई मालिक का कोई पता नहीं है कि वह जिवित है या उनकी मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसका पिछले 10 सालों से काफी खोज बीन के बाद भी कोई पता न चला और न ही लाइ लमी वांका देई ने सम्पर्क स्थापित किया ।

अतः सम्बन्धित मालकान वारसान मुहाल झाखडी व आस पास के महाल को बजरिया इस इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त इन्तकाल वांका देई वहक मोलक राज के नाम तस्दीक होने पर कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। एक माह का समय बीत जाने के बाद नियमानुसार इन्तकाल नम्बर 333, मकफूल-उल-खबरी मोलक राज के नाम तस्दीक कर दिया जायेगा ।

इश्तहार आज दिनांक 19-10-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। ओ0 पी0 नेगी,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा0) शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री हेम सिंह पुत्र श्री केशव नन्द

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे ।

श्री हेम सिंह ने इस अदालत में एक आवेदन पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी बेटी कुमारी भावना वर्मा का नाम व जन्म तिथि 29-10-2000 उनकी ग्राम पंचायत नकरोड़ी के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है । अतः अब दर्ज की जाये

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक की बेटी का नाम व जन्म तिथि उनकी ग्राम पंचायत नकरोड़ी के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 20-11-2001 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को नाम व जन्म तिथि उनके पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 16-10-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ ।

मोहर । राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा),
शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0) ।

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, (ग्रा0) शिमला जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री मंजीव रोहाल सुपुत्र श्री मोहन सिंह रोहाल

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे ।

श्री मंजीव रोहाल ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी पत्नी व बेटियों, श्रीमती लीला रोहाल आयु 15-12-69 तथा बेटियों स्मृति रोहाल जन्म तिथि 2-4-2000 तृप्ती रोहाल जन्म तिथि 28-5-2001 उनकी ग्राम पंचायत जलेल के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है । अतः अब दर्ज की जावे ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक की पत्नी व बेटियों के नाम जन्म तिथियां उनकी ग्राम पंचायत जलेल के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 20-11-2001 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पचायत सम्बन्धित को नाम व जन्म तिथियां उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 17-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ है।

मोहर। राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0),
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बलवीर सिंह सुपुत्र श्री ईश्वर सिंह

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे ।

श्री बलवीर सिंह ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती कल्पना का नाम व शादी की तिथि 29-3-1998 जोकि उनकी ग्राम पंचायत चलाहल के अभिलेख में दर्ज नहीं है, अब दर्ज की जावे ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक की पत्नी का नाम व शादी उनकी ग्राम पंचायत चलाहल के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 20-11-2001 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को नाम व शादी की तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 17-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ है ।

मोहर । राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0),
जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री खिवण राम पुत्र किशनू राम

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे ।

श्री खिवण राम ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पोते मोहित कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल का नाम तथा जन्म तिथि 10-9-1996 उनकी ग्राम पंचायत बसन्तपुर के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है । अतः अब दर्ज की जाये ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक के पोते का नाम व जन्म तिथि उनकी ग्राम पंचायत बसन्तपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 20-11-2001 तक या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को नाम व जन्म तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे ।

आज दिनांक 15-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ है ।

मोहर । राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0),
जिला शिमला (हि0प्र0) ।

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री मुशु राम, निवासी ग्राम जमोग, डाकघर जूणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0) ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे ।

श्री घनश्याम शर्मा ने इस अदालत में एक आवेदन पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी बेटी कुमारी मनीषा की जन्म तिथि 14-8-1996 है परन्तु उनकी उक्त बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख जूणी में दर्ज नहीं है अतः अब दर्ज किया जावे ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री घनश्याम शर्मा की पुत्री कुमारी मनीषा के नाम व जन्म तिथि को पंचायत अभिलेख जूणी में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति व एतराज हो तो वह अपना आपत्तिनामा इस अदालत में दिनांक 20-11-2001 को या इससे पूर्व स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत जूणी को उक्त के नाम व जन्म तिथि को पंचायत पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा इस अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी शिमला (ग्रा0),
जिला शिमला (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री राकेश शर्मा, हि0 प्र0 से0, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

व मुकद्दमा :

श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी ग्राम काण्डो, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी ग्राम काण्डो, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री की सही जन्म तिथि 1-11-1984 है परन्तु ग्राम पंचायत धनूरी के रिकार्ड में 1-11-1981 दर्ज है जिसकी दरुस्ती करवाना चाहता है ।

प्रार्थी श्री अमर सिंह के आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, धनूरी से रिपोर्ट ली गई है जिसमें प्रार्थी की पुत्री शांता कुमारी की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में 1-11-1981 दर्ज होने पुष्टि की है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा ग्राम काण्डो व प्रार्थी श्री अमर सिंह पुत्र मोती राम के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्री अमर सिंह की पुत्री शान्ता कुमारी की जन्म तिथि की दरुस्ती बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे तक अदालत हजा स्थित नाहन में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में प्रार्थना-पत्र श्री अमर सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 17-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । राकेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी नाहन,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रामीया पुत्र बोजा राम, निवासी दिन्डोली, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रामीया पुत्र बोजा राम ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता का नाम विजा राम है परन्तु ग्राम पंचायत रिकार्ड अजरोली में उसका नाम घंगू राम किया गया है जो कि गलत है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन अथवा वकालतन हाजिर आकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है । निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री रामीया पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी ।

आज दिनांक 19-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सुख देव सिंह पुत्र श्री राम सरन, निवासी खोड़ोवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री राम सरन, निवासी खोड़ोवाला, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की लाजवंती का जन्म दिनांक 6-10-1988 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरखुवाला में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री सुखदेव सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 23-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्रीमती गुलाबी देवी पुत्री प्रेमू, निवासी ग्राम माटला, तहसील पांवटा जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गुलाबो देवी पुत्री प्रेमू, निवासी माटला, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 20-5-1982 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शावगा के रिकार्ड में 20-5-1988 दर्ज की गई है जो कि गलत है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पावटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती गुलाबी देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 23-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री सन्त राम सुपुत्र श्री छितु, निवासी कांटी माश्वा, पांवटा साहिब (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम ।

उपरोक्त मुकद्दमा आम बाला में श्री सन्त राम पुत्र छितु, निवासी कांटी माश्वा मय ब्यान हल्फिया ब्यान/प्रार्थना-पत्र दिया है कि ग्राम पंचायत कांटी माश्वा के रिकार्ड में उसकी पत्नी विद्या देवी व बच्चे नाम विनोद गलती से उसके भाई मनिया के नाम पर दर्ज हो गए हैं । जबकि उक्त सदस्य उसके परिवार के हैं । इस गलती को दुरुस्त किया जाए ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 22-11-2001 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री सन्त राम के प्रार्थना-पत्र पर आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी ।

आज दिनांक 23-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बमुकद्दमा :

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री मोजी राम, निवासी भुगाड़ी, तहसील जिलाई ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री धर्म सिंह पुत्र श्री मोजी राम, निवासी भुगाड़ी मय ब्यान/प्रार्थना-पत्र दिया है कि ग्राम पंचायत बांदली के रिकार्ड में उसकी पत्नी व लड़का दीपू गलती से गलत नाम पर दर्ज हो गए हैं जबकि उक्त सदस्य उसके परिवार के है । इस गलती को दुरुस्त किया जाए ।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 22-11-2001 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है । निर्धारित अवधि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत पर श्री धर्म सिंह के प्रार्थना-पत्र पर आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी ।

आज दिनांक 23-10-2001 को हमारे हस्ताक्षर व माहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दया राम पुत्र तेलू राम, निवासी पोका, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दया राम निवासी पोका ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनके लड़के का नाम विक्रम शर्मा है परन्तु पंचायत रिकार्ड पोका में उसका नाम पिंकू किया गया है जो कि गलत है । अब ठीक किया जाए ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन अथवा वकालतन हाजिर आकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री दया राम पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी ।

आज दिनांक 23-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्रीमती जिजाबाई0 सी0 पत्नी श्री किशोरी लाल, निवासी मवा सिधियां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

नोटिः बनाम आम जनता ।

श्रीमती जिजाबाई0 सी0 पत्नी श्री किशोरी लाल, निवासी मवा सिधियां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक

दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम व उसके पुत्र का नाम मुंअम व जन्म तिथि 26-12-1996 व माता का नाम मीमा पत्नी किशोरी लाल दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसके पुत्र का नाम शिनोद भारती जन्म तिथि 15-12-1996 दर्ज होनी चाहिए तथा माता का नाम मीमा की जगह शिजाबाई 0 सी0 दर्ज होना चाहिए जो सही है।

अत: सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम व जन्म तिथि दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सन्जीव शर्मा पुत्र श्री होशियार चन्द, निवासी कुठेड़ा खैरला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सन्जीव शर्मा पुत्र श्री होशियार चन्द, निवासी कुठेड़ा खैरला, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके बेटे का नाम पंचायत रिकार्ड में अक्रांत शर्मा दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम अभिजीत शर्मा है उस का नाम अक्रान्त शर्मा की जगह अभिजीत शर्मा दर्ज होना चाहिए जो सही है।

अत: सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2001 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सरफ दीन पुत्र श्री मंगत दीन, निवासी गांव कुठियाड़ी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सरफ दीन पुत्र श्री मंगत दीन, निवासी गांव कुठियाड़ी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका व उसके बेटे का नाम पंचायत रिकार्ड में विजय कुमार पुत्र सलफी दर्ज है जोकि गलत है जबकि उसका नाम व उसके बेटे का नाम मुहम्मद युसफ पुत्र श्री सरफ दीन दर्ज होना चाहिये जोकि सही है।

अत: सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करा सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती आदेश पंचायत को जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री किशन चन्द चौधरी, निवासी गांव टटेहड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री किशन चन्द चौधरी, निवासी गांव टटेहड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी शादी कैलाश देवी पुत्री श्री ओंकार नाथ, निवासी नारी, तहसील व जिला ऊना के साथ दिनांक 6-12-2000 को सम्पन्न हुई लेकिन शादी पंचायत में दर्ज न करवाई गई है।

अत: सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पंजीकरण के आदेश पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्रीमती गुरबचनी देवी विधवा श्री दलीप चन्द, निवासी दियाड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गुरबचनी देवी विधवा श्री दलीप चन्द निवासी दियाड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके अंकल का नाम जल्लू पुत्र श्री हीरा की मृत्यु दिनांक 04-02-2001 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत दियाड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती गुरबचनी देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज दिनांक 27-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र पाल, निवासी ब्रह्मपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र पाल, निवासी ब्रह्मपुर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भानजे का नाम रोहित शर्मा पुत्र संजीव कुमार का जन्म दिनांक 7-2-1999 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भद्रकाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री विनोद कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सोम नाथ पुत्र श्री ओंकार सिंह, निवासी धनारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोम नाथ पुत्र श्री ओंकार सिंह, निवासी धनारी ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम नेहा कुमारी पुत्री सोम नाथ का जन्म दिनांक 24-10-1996 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत धनारी के रिकार्ड में दर्ज न करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री सोम नाथ पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज दिनांक 27-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री महिन्द्र पाल पुत्र श्री साधू राम, निवासी परम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्री महिन्द्र पाल पुत्र श्री साधू राम, निवासी परम्ब ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम बबलू कुमार पुत्र श्री महिन्द्र पाल का जन्म दिनांक 15-1-1995 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सलोई के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री महिन्द्र पाल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 18-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री महिन्द्र पाल पुत्र श्री साधू राम, निवासी परम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महिन्द्र पाल पुत्र श्री साधू राम, निवासी परम्ब ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम अरुणा देवी पुत्री श्री महिन्द्र पाल का जन्म दिनांक 15-4-1994 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सलोई के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री महिन्द्र पाल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 18-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मारू राम, निवासी बदाऊ, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मारू राम, निवासी बदाऊ ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम अभिषेक चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार का जन्म दिनांक 20-7-1997 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अन्दौरा लोअर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री अनिल कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरमीत चन्द सुपुत्र स्व0 श्री मन्शा राम, निवासी दियाड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरमीत चन्द सुपुत्र स्व0 श्री मन्शा राम, निवासी दियाड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम मणि बाला सुपुत्री श्री गुरमीत चन्द जन्म दिनांक 08-07-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दियाडा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता हैं कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री गुरमीत चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री सुखदेव, निवासी मवां (लोहारा), तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री सुखदेव, निवासी मवां (लोहारा), तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि मेरे पिता जी का नाम गांव बधमाणा के राजस्व रिकार्ड में श्री सुखदेव सुपुत्र श्री सन्त राम दर्ज है जो कि सही है लेकिन गांव धर्मशाला महन्ता (उप-महाल निचली) धर्मशाला महन्ता में मेरे पिता जी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्री लेख राज सुपुत्र श्री सन्त राम दर्ज है जो कि गलत है जबकि उनका नाम सुखदेव सुपुत्र श्री सन्त राम दर्ज होना चाहिए जो कि सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरूस्ती बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी बीजापुर (तलवाड़), तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार निवासी बीजापुर (तलवाड़) तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री का नाम पंचायत रिकार्ड में आकृति शर्मा की जगह प्रेम लता दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम प्रेम लता की जगह आकृति शर्मा दर्ज होना चाहिए जो कि सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो

वह दिनांक 20-11-2001 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरूस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिये जाएंगे ।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री शाम लाल सुपुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी चलेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शाम लाल सुपुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी चलेट ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम प्रियंका सुपुत्री श्री शाम लाल जन्म दिनांक 19-11-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चलेट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री शाम लाल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

श्री यशपाल सिंह सुपुत्र श्री निक्का राम, निवासी भंजाल, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री यशपाल सिंह सुपुत्र श्री निक्का राम, निवासी भंजाल, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में शशि बाला सुपुत्री श्री रघुपाल सिंह दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम शशि बाला सुपुत्री यशपाल सिंह दर्ज होना चाहिए जो कि सही है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरूस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिये जाएंगे ।

आज दिनांक 17-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शिजाबाई0 सी0 पत्नी श्री किशोरी लाल, निवासी मवां सिंघियां, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्रीमती शिजाबाई0 सी0 पत्नी श्री किशोरी लाल निवासी मवा सिंघियां, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में शिजाबाई0 सी0 की जगह सीमा दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम सीमा की जगह शिजाबाई0 सी0 दर्ज होना चाहिए जो सही है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरूस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरूस्ती बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे ।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री महिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री गरीब दास, निवासी नकडोह, तहसील अम्ब जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री गरीब दास, निवासी नकडोह ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम ज्योति बाला सुपुत्री श्री महिन्द्र सिंह जन्म दिनांक 7-10-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकडोह के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न

होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री नरेन्द्र सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री उधम सिंह सुपुत्र श्री श्यामू राम, निवासी नन्दपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री उधम सिंह सुपुत्र श्री श्यामू राम, निवासी नन्दपुर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम मदन लाल सुपुत्र श्री उधम सिंह, की मृत्यु दिनांक 30-08-1991 को हुआ थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नन्दपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्रात न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री उधम सिंह पर नियनुमासार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 16-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री जमीत सिंह राणा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री हरी राम, वासी गांव बढेड़ा राजपूतां, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत दरुस्ती नाम कागजात माल वाक्य, गांव मौजा कोईड़ी, तहसील अम्ब ।

श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री हरी राम, वासी गांव बढेड़ा-राजपूतां, तहसील अम्ब, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र कृष्ण चन्द है लेकिन कागजात माल में गलती से जगदीश राम उप नाम कृष्ण लाल लिखा गया है । अतः वह कागजात माल में अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को उक्त आवेदक के नाम को दरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-11-2001 को या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आ कर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है अन्यथा आवेदक के नाम की दरुस्ती किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 24-9-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । जे0 एस0 राणा,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील अम्ब, जिला ऊना,
(हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री जमीत सिंह राणा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री हरी राम, वासी गांव बढेड़ा राजपूतां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत दरुस्ती नाम कागजात माल वाक्या, गांव बढेड़ा-राजपूतां, तहसील अम्ब ।

श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री हरी राम, वासी गांव बढेड़ा राजपूतां, तहसील अम्ब, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र इस आशय से गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र कृष्ण चन्द है, लेकिन माल कागजात में गलती से किशन लाल लिखा गया है । अतः वह कागजात माल में अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त आवेदक के नाम को दरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-11-2001 को या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है अन्यथा आवेदक के नाम की दरुस्ती किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 24-9-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । जे0 एस0 राणा,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील अम्ब, जिला ऊना,
(हि0 प्र0) ।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना तहसील व जिला ऊना

मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ।

मोहन लाल बनाम आम जनता सन्तोषगढ़ ।

दरखास्त जेर-धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम जनता आम ।

श्री मोहन लाल सुपुत्र प्रकाश चन्द, निवासी गांव सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है कि उसकी सुपुत्री भावना सैणी का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज किया जावे । इसकी सुपुत्री की जन्म तिथि 2-10-1998 है, तथा बच्चे का जन्म गांव सन्तोषगढ़ है ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करवाने बारे कोई उजर/आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को प्रातः दस बजे स्वयं अथवा असालतन या बकालतन इस अदालत

में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दे दिये जाएंगे ।

आज दिनांक ..... हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री एस0 आर0 भाटिया, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0	तारीख मरजुआ	तारीख पेशी
49/2001	8-5-2001	20-11-2001

किस्म मकद्दमा : तकसीम

श्री जगदीश चन्द पुत्र लालीराम, निवासी टीका गुर्याह कला, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ... प्रार्थी ।

बनाम

1. किशन चन्द, 2. रतन चन्द, 3. प्रकाश चन्द, 4. प्रीतम चन्द पुत्रान भण्डारी, 5. रणजीत चन्द, 6. विशन चन्द, 7. ओंकार चन्द, 8. देव राज पुत्रान सुख दयाल, 9. श्रीमती कला देवी विधवा सुख दयान, सर्व निवासीगण टीका गुर्याह कलां, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 10. चमन लाल पुत्र अनन्त राम, निवासी टीका खजिया, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ... प्रतिवादीगण ।

इश्तहार (Proclamation) उद्घोषणा जेर आर्डर 5, नियम 20, सी0 पी0 सी0 ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री जगदीश चन्द ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र तकसीम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि भूमि खाता नं0 38, खतौनी नं0 46, 47, खसरा नं0 380, 381, 382, 383, 241 व 245, किता 6, रकबा तादादी 0-06-27 हैक्टेयर, वाक्या टीका गुर्याह कलां, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर अनुसार जमाबन्दी साल 1995-96, जो कि फरीकदोयम का मुश्तरका है जिसमें प्रतिवादीगण का निस्फ भाग है, अराजी जेरे तकसीम में फरीकदोयम प्रार्थी पक्ष के साथ काश्त के बारे हमेशा तनाजा करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थी कानूनात माल में अपना खाता अलग करना चाहता है ।

उक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिवादी पक्ष को कई बार बजरिया समन तलब किया गया परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो रही है । जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण नं0 1, 2, 7 व 8 की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव न है । अतः उपरोक्त अप्रार्थी पक्ष नं0 1, 2, 7 व 8 को इश्तहार (Proclamation) द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें मुकद्दमा के बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अमालतन या वकालतन उपस्थित होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अनुपस्थिति की सूरत में यह समझा जायेगा कि उन्हें उक्त मुकद्दमा बारे कुछ न कहना है । इसलिए नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त मकद्दमा का फैसला गुण व दोष के आधार पर नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 2-11-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । एस0 आर0 भाटिया,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बड़सर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश ।

इश्तहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

शीर्षक मुकद्दमा तकसीम

श्री फौजी राम पुत्र खोदल, निवासी ठेहड़, मौजा ठेहड़, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

बनाम

श्री अंग्रेज सिंह आदि मुहाल व मौजा ठेहड़ उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि तकसीम खाता नं0 49,50,52,53 खतौनी नं0 63, 64, 66, 67 खसरा किता 116, रकबा 3-91-86 है0 वाक्या मुहाल उपरली ठेहड़, मौजा ठेहड़, उप-तहसील हारचकियां ।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री फौजी राम ने प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम इस न्यायालय में दायर किया है कि उपरोक्त भूमि मुश्तरका होने के कारण वह अपना खाता अलग करवाना चाहता है । इसलिये फरीकदोयम श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री सोभा जो कि लापता है तथा श्रीमती लज्जा देवी पुत्री धंमू श्रीमती व्यासा देवी पुत्री वसाखू जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के वारसान की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती एवं श्री इलाची राम ।

इसलिये उपरोक्त फरीकदोम के वारसान को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस तकसीम बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे अमालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 22-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल तकसीम:

श्री दुर्गा सिंह पुत्र फत्ता उपनाम श्री फतेह सिंह, निवासी भन्द्रेला मौजा मनेई, उप-तहसील हारचकियां (हि0 प्र0) ।

बनाम

श्री राज कुमार आदि, निवासी भन्द्रेला, उप-तहसील हारचकियां (हि0 प्र0)

प्रार्थना-पत्र तकसीम खाता नं0 41 खतौनी नं0 62 ता 67 खसरा किता 14, रकबा 01-23-52 है0 वाक्या मुहाल भन्द्रेला, मौजा मनेई, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री दुर्गा सिंह ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम इस न्यायालय में दायर किया है कि उपरोक्त भूमि मुश्तरका होने के कारण वह अपना खाता अलग करवाना चाहता है । इसलिये मुकद्दमा में फरीकदोयम श्री रक्षपाल जगरूप सिंह पुत्र महाली राम, वासी भन्द्रेला, मौजा मनेई, उप-तहसील हारचकियां को इस न्यायालय द्वारा कई बार नोटिस किये गये लेकिन उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है ।

इसलिये न्यायालय को पूर्ण विश्वास है। कि इनको तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

इसलिये उपरोक्त फरीक दोयम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर तकसीम बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2001 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 22-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0पी0सी0

व अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0	किस्म मुकद्दमा
19, 20, 21, 22/2001	तकसीम

श्री सुखल उर्फ राम दास व भगवान दास पुत्रगण रूलदू, गांव खनोटा, फाटी निरमण्ड, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

सर्व श्री प्रेमदास, किशोरी पुत्रगण जोती, गांव खनोटा, फाटी निरमण्ड, भीमू, सूफन उर्फ बालक राम, चेत राम, खिमू पुत्रगण शिमता, गांव कुण्डाकोड, फाटी निरमण्ड, पिहकू पुत्र शिमता, गांव शनेरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला। मंगती पुत्र तुलसू, गांव मकटू फाटी निरमण्ड। कमला पुत्री धनी राम गांव पडैडी, फाटी निरमण्ड, सुमती देवा धनी राम गांव खनोटा, किमनी पुत्र झुमकू गांव कथाड़ा, शिव राम पुत्र झुमकू, गांव खनोटा, फाटी निरमण्ड, फूला देवी पुत्री झुमकू गांव पनाणा, चिमन लाल पुत्र हिमत, गांव कुण्डाकोड. रामकी पुत्री निसमू, गांव खनोटा, फाटी निरमण्ड, चन्द्र प्रकाश पुत्र कमणू, निवासी खनोटा, फाटी निरमण्ड व बालकी पुत्र नन्दी, गांव शनेरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला ..प्रतिवादीगण।

तकसीम भूमि खाता नं0 231 मिन, खतौनी नं0 271, 272 मिन, 273, 274, 275 मिन, 275/1, खाता नं0 466,500,577, 590, 458, 503, 534, 568, 576, 591, 463, 462, 480, 481, 535, 464, 465, 562, 569, 592, 575 किस्सा 21, रकबा 13-18-16 बीघा, खाता संख्या 231 मिन, खतौनी नं0 272 मिन, 275 मिन, ख0 नं0 514, 513, किस्सा 2, रकबा 2-18 बीघा, खाता नं0 218, खतौनी नं0 257/1, ख0 नं0 791, 810, किस्सा 2, रकबा 7-14 बीघा, खाता सं0 229, खतौनी नं0 268, ख0 नं0 518, 521 किस्सा 2, रकबा तादादी 5-1 बीघा स्थित फाटी निरमण्ड, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी श्री पिहकू पुत्र शिमता, निवासी शनेरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी करने के बावजूद भी तामील विधिवत नहीं हो पा रही है तथा मुकद्दमा सुनवाई के दौरान पाया गया कि उपरोक्त पिहकू राम कई सालों से लापता है। अतः उपरोक्त प्रतिवादी पर सामान्य तरीके से समन की तामील होना असम्भव है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादी श्री पिहकू पुत्र शिमता, गांव शनेरी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 21-11-2001 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन मेरी अदालत मुकाम निरमण्ड में हाजिर आवें अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
निरमण्ड, जिला कुल्लु,
हिमाचल प्रदेश।

न्यायलय श्री के0एस0 चौधरी, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, बंगाणा, जिला ऊना

कशमीरी देवी पत्नी देवराज पुत्र रामा, गांव मकरैड़, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ..प्रार्थी।

बनाम

1. श्री देव राज पुत्र रामा, जात जट, गांव मकरैड़, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, 2. ग्राम जनता गांव मकरैड़, तप्पा शहड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ..प्रतिवादीगण।

इन्तकाल नं0 72, मकफूद-उल-खबरी वाक्या गांव मकरैड़ तप्पा शहड़ा, तहसील बंगाणा. मिलजानव देव राज पुत्र रामा, गांव मकरैड़ बराये फैसला दर्ज राजस्व अभिलेख है।

इश्तहार मुनादी

बरकत तस्दीक इन्तकाल जलसा ग्राम में श्रीमती कशमीरी देवी पत्नी देव राज, जात जटट, ने स्वयं उपस्थित होकर व्यक्त किया कि उसका पति श्री देव राज पुत्र रामा वर्ष 1978 से लापता हो चुका है। श्री देव राज फौज में नौकरी करता था। अतः देव राज घर से अवकाश काट कर वापिस गया तो वह अपनी यूनिट फौज में उपस्थित नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक वह न ही फौज में है और न ही घर पर आया तथा न ही उसके मरने का किसी को कोई इलम है। उसकी कोई सन्तान नहीं है केवल उसकी पत्नी कशमीरी देवी ही उसकी जायज वारिस है जिसकी विरासत का इन्तकाल नं0 78, मकफूद-उल-खबरी बराये निर्णय विचाराधीन है।

अतः इस इश्तहार मुनादी द्वारा प्रतिवादी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त इन्तकाल नं0 78, मकफूद-उल-खबरी पर किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में उपस्थित होकर दिनांक 23-11-2001 को पैरवी इन्तकाल या एतराज इन्तकाल प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त इन्तकाल बहक प्रार्थीन श्रीमती कशमीरी देवी पत्नी देव राज, जात जटट, गांव मकरैड़ स्वीकृत कर दिया जायेगा।

आज दिनाक 6-10-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। के0एस0 चौधरी,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
बंगाणा, जिला ऊना।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

-शून्य-

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

-शून्य-

अनुपूरक

-शून्य-

भाग–I

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-1, the 31st October, 2001

No. HHC Admn. 6-20/77-XIII-22001-25.—It is notified for information of the general public that the holidays and vacations to be observed by the High Court and the Courts subordinate thereto, during the calendar year 2002, shall be as follows :—

HOLIDAYS

Name of holiday(s)	Date(s) on which these fall	Day or Days of the week
All Sundays		
All Second Saturdays		
Statehood Day	25th January	Friday
Republic Day	26th January	Saturday
Id-ul-Juha	23rd February	Saturday
Maha Shivratri	12th March	Tuesday
Holi	28th March	Thursday
Good Friday	29th March	Friday
Himachal Day	15th April	Monday
Mahabir Jayanti	25th April	Thursday
Independence Day	15th August	Thursday
Janamashtami	30th August	Friday
Gandhi Jayanti	2nd October	Wednesday
Dussehra Holidays	14th October to 19th October	Monday to Saturday
Diwali	4th November	Monday
Goverdhan Pooja	5th November	Tuesday
Bhai Duj	6th November	Wednesday
Guru Nanak Dev's Birthday	19th November	Tuesday
Christmas Day	25th December	Wednesday

Note.— 1. The list of holidays does not indicate Dr. Bhim Rao Ambedkar's Birthday (14-4-2002), Ram Navmi (21-4-2002) & Budh Purnima (26-5-2002), which fall on Sundays.

2. Saturdays falling on 4th May, 2002 and 21st September, 2002 will be working days for the High Court.

3. The District and Sessions Judges shall at their discretion declare two holidays in the calendar year on the occasions of important fairs and festivals peculiar to the places within their respective jurisdiction.

VACATIONS :

High Court Winter Vacation from 14-1-2002 to 23-2-2002.

High Court Summer Vacation from 10-6-2002 to 15-6-2002.

Winter Zone Subordinate Courts Vacations from 21-1-2002 to 19-2-2002.

Summer Zone Subordinate Courts Vacations from 2-7-2002 to 31-7-2002.

Note.—Limitation will not run during the vacations and gazetted holidays.

BY ORDER OF THE HON'BLE CHIEF JUSTICE AND JUDGES

SURJIT SINGH,
Registrar General.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित